श्री बिजट महाराज मन्दिर (ब्रिजेश्वर मन्दिर) सराहां, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) श्री बिजट महाराज मन्दिर (ब्रिजेश्वर मन्दिर) सरांहा तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के पत्र संख्या भासनि–15/97–मन्दिर–3–3278 दिनांक 24.3.2005 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास में बतौर आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	सर्व श्री देव राज हीरा	तहसीलदार एवं मैन्नर सचिव	01.01.2005 से 09.06.2005
2	ओ0पी0 नेगी	तहसीलदार एवं मैन्नर सचिव	04.07.2005 से 12.10.2007
3	ए0के0 आहलुवालिया	तहसीलदार एवं मैन्नर सचिव	22.10.2007 से 16.06.2008
4	एस0आर0 शांडिल	तहसीलदार एवं मैन्नर सचिव	21.07.2008 से 30.06.2010
5	अरूण कुमार शर्मा	तहसीलदार एवं मैन्नर सचिव	01.07.2010 ये 03.09.2012
6	मोहन सिंह नेगी	तहसीलदार एवं मैन्नर सचिव	15.10.2012 से 31.12.2012

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	(₹)लाखों में
1	9	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहन से राशि की वसूली न करना	2.06
2	13 (क, ख)	औचारिकताओं को पूर्ण किये बिना सामग्री का क्रय करना	9.03
3	14	मन्दिर के लंगर हेतु क्रय की गई खाद्य सामग्री से सम्बन्धित अनियमितताएं	1.57
4	15	विज्ञापनों पर अनुचित व्यय करना	1.15

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है। अतः अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

बिजट महाराज मन्दिर सरांहा तहसील चौपाल, जिला शिमला के अवधि 01.01.205 से 31.12.2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, सर्व श्री चम्बेल सिंह परमार व मन्जीत भाटिया अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 8.10.2013 से 24.10.2013 के दौरान सरांहा में किया गया। माह 4/2005, 7/2006, 7/2007, 9/2008, 5/2009,4/2010, 9/2011 व 7/2012 का चयन आय पक्ष की जाँच के लिए तथा माह 5/2005, 4/2006, 6/2007, 10/2008, 4/2009, 8/2010, 12/2011 व 4/2012 का चयन व्यय पक्ष की जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

बिजट महाराज मन्दिर सरांहा के अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012 के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹12000/– किया गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 177 दिनांक 7.10.2013 द्वारा मैम्बर सचिव एवं तहसीलदार चौपाल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

बिजट महाराज मन्दिर सरांहा तहसील चौपाल, जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास की अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

5 **निवेशः—**

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.12 को सावधि जमा योजना में ₹100000/— निवेशित की गई दर्शाई गई थी। उक्त राशि पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 644 में माह 1/1997 में निवेश की गई थी तथा न्यास द्वारा माह 1/1997 से माह 4/2005 तक सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज की ₹95999/— को दिनांक 26.5.2005 को रोकड़ वही में जमा किया गया था। तत्पश्चात माह 5/2005 से 19.10.2013 के दौरान प्राप्त ब्याज की ₹101676/— तथा सावधि जमा में निवेशित ₹100000/— को अंकेक्षणाधीन अवधि के पश्चात दिनांक 19.10.2013 को ही रोकड़ वही में जमा किया गया है।

6 **उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण ब्याज की हानिः—**

वित्तीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अत्याधिक राशि बिना उपयोग के ही बचत खाते में रखी गई थी जबकि उचित वित्तीय प्रबन्ध को ध्यान में रखते हुये (आधिक्य) राशि सावधि जमा में निवेश की जानी अपेक्षित थी जिससे मन्दिर को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि न्यास स्त्तर पर आन्तरिक जाँच करके मन्दिर के लेखों में पड़ी अनुपयुक्त राशि, जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, को सावधि जमा में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 **सोने व चांदी का विवरणः—**

तहसीलदार चौपाल एवं मैम्बर सचिव बिजट महाराज मन्दिर ट्रस्ट सरांहा द्वारा सूचित किया गया कि बिजट महाराज मन्दिर सरांहा में पूर्व अवधि का जमा एवं अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त सोना, मन्दिर की मूर्तियों उनके आभूषणों एवं पालकियों के रूप में विद्यमान है तथा इसी प्रकार पूर्व अवधि की जमा एवं अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रापत चांदी, मन्दिर के ढोल नगाड़ों, करनालों, रणसिघों एवं पालकियों के रूप में विद्यमान है, जिसका मन्दिर न्यास द्वारा परम्परा अनुसार कभी भी नापतोल नहीं किया गया है।

8 मन्दिर में कार्यरत्त कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन व भत्तों का विवरणः—

श्री बिजट महाराज मन्दिर सरांहा में कार्यरत्त कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की सं0	कार्य का विवरण	वेतन
1	भण्डारी	1	मन्दिर के सभी प्रकार के कार्यों का प्रबन्धन करना	₹1500 वार्षिक
2	पुजारी	4	मन्दिर में पूजा पाठ करना मन्दिर की छडी के साथ इलाके में लोगों के बुलाने पर जाना	₹500 वार्षिक
3	माली (उतारूआ)	1	लोगों /श्रद्धालुओं के पूछने पर देवता आता है	₹500 वार्षिक
4	चाकर	1	लगातार मन्दिर की सफाई कार्य हेतु	₹500 वार्षिक
5	बकराला	1	मन्दिर में भेंट चढ़ाये हुये बकरों को चराने का कार्य	₹500 वार्षिक
6	लांगरी	1	लंगर में यात्रियों को रोटी बनाने का कार्य	₹2000 मासिक
7	चाकर	10	इलाके में अनाज की उगाही करके मन्दिर में जमा करवाना	अनाज का भाग तथा दक्षिणा मिलती है
8	बजन्तरी	29	मन्दिर में पूजा के समय वाजक बजाते है तथा देवता की छड़ियों के साथ लोगों के बुलाने पर जाते है	इलाके के लोग दक्षिणा व अनाज देते है
9	मोहरर	1	मन्दिर की आय व्यय का लेखा जोखा रखने का कार्य करते है	अवैतनिक
10	जरगर	3	परम्परा के अनुसार यह लोग मन्दिर में प्राप्त सोने व चान्दी के मूर्तियों के लिए आभूषण बनाने का कार्य करते है	—

उपरोक्त सभी कर्मचारी पुस्तैनी है तथा मन्दिर का कार्य करते है। उपरोक्त कर्मचारियों में से कुछ को ही नाम मात्र का (मानदेय) दिया जाता है तथा शेष कर्मचारी अवैतनिक है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान खाता वही का निर्माण नहीं किया गया था जिसके अभाव में कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की पूर्ण वितरण की जाँच नहीं की जा सकी।

9 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सरांहा से ₹206208/– की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान दल को अवगत करवाया गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्यालय के (पी0टी0ए0) प्रधान द्वारा उप–मण्डलाधिकारी चौपाल को दिनांक 16.9.2008 को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें अनुरोध किया गया कि श्री बिजट महाराज सरांहा के मन्दिर की संराय में पाठशाला के बच्चों की कक्षाओं को बिठाने की अनुमति प्रदान की जाए। इस अनुरोध को उप–मण्डलाधिकारी चौपाल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर ही पृष्ठांकन संख्या 2428, दिनांक 23.9.2008 द्वारा मन्दिर अधिकारी को निर्देश दिये कि मन्दिर धर्मशाला में माह दिसम्बर, 2008 तक विद्यालय की कक्षाएं बिठाने के लिए स्थान आंबटित किया जाए जिसकी अनुपालना करते हुये दिनांक 1.10.2008 मन्दिर का मैदान तथा सरांय के आठ कमरे विद्यालय को सौंपे गये परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र, जिसे उप–मण्डलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था, के अनुसार दिनांक 31.3. 2010 तक मन्दिर का मैदान मन्दिर सराय के उक्त कमरे विद्यालय के पास रहे। इस प्रकरण के किराये का आकलन/निर्धारण अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल, चौपाल के पत्र संख्या पी0डब्लयू –सी0एच0 –सी0बी0 –डब्लयू0ए0 –आर0सी0सी0 /08–3469 दिनांक 4.8.09 द्वारा ₹11456/– प्रतिमाह किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि का 18 माह का ₹11456/– प्रतिमाह की दर से कुल ₹206208/– का किराया बनता है जिसका भुगतान विद्यालय द्वारा मन्दिर को नहीं किया गया था। अतः उक्त राशि की विद्यालय से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी वसूली अतिशीध्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

10 **मन्दिर की सरांय से प्राप्त किराये की ₹10825/– को कम जमा करना तथा मन्दिर की सरांय से प्राप्त किराये की राशि को विलम्ब से जमा करनाः–**

(क) मन्दिर धर्मशाला के आगन्तुक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सरांय से प्राप्त किराये को ₹10825/– को या तो कम जमा किया गया अथवा जमा ही नहीं किया गया। अतः कम जमा की गई अथवा जमा नहीं की गई राशि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**अवधि**	**सरांय रजिस्टर अनुसार प्राप्त राशि**	**रोकड़ वही में जमा राशि**	**कम जमा राशि**
1	26.1.06 से 2.3.06	640	240	400
2	6.7.07 से 13.7.07	2445	2425	20
3	3.8.07 से 11.9.07	7685	शून्य	7685
4	30.6.08 से 27.7.08	6885	4165	2720
			योग	**₹10825**

(ख) इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार मन्दिर की संराय से प्राप्त राशियों को काफी समय तक हस्तगत रखने के उपरान्त विलम्ब से रोकड़ वही/बैंक में जमा किया गया था जोकि आपत्तिजनक है जिससे ब्याज की हानि भी हुई। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस प्रकरण में ब्याज की हानि की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त सरांय से प्राप्त किराये की राशि को तुरन्त बैंक में जमा किया जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

अवधि	प्राप्त राशि (₹)	जमा करने की तिथि
30.3.06 से 21.4.06	1635	21.4.06
28.12.06 से 23.2.07	570	27.02.07
4.4.07 से 22.4.07	855	30.04.07
30.4.07 से 13.5.07	1825	18.05.07
29.6.07 से 6.07.07	3067	14.07.07
6.07.07 से 14.7.07	2425	23.07.07
14.07.07 से 1.08.07	2912	10.08.07
12.09.07 से 29.09.07	1131	1.10.07
5.11.07 से 25.11.07	1705	27.11.07
12.1.08 से 21.2.08	960	22.02.08
11.3.08 से 27.4.08	3780	28.04.08
12.5.08 से 31.5.08	4840	05.06.08
16.06.08 से 29.6.08	3720	28.07.08
10.11.08 से 30.11.08	1665	8.12.08
03.03.09 से 31.03.09	895	16.4.09
02.04.09 से 30.4.09	3675	5.05.09
21.6.09 से 29.06.09	2920	27.7.09
29.6.09 से 24.07.09	5380	17.8.09
02.09.09 से 30.9.09	5015	5.10.09
1.10.09 से 31.10.09	3385	26.11.09
02.02.10 से 17.03.10	2205	11.12.10
26.07.10 से 29.08.10	2460	13.12.10
01.09.10 से 31.10.10	3565	2.11.10
1.11.10 से 16.12.10	1985	11.2.11
1.11.11 से 29.7.12	36235	30.7.12

11 मन्दिर सराय से किराये की राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएंः–

(क) मन्दिर न्यास की कमेटी द्वारा संराय में ठहराव का कोई किराया निर्धारित नहीं किया गया था जिससे प्राप्त किराया दर का सत्यापन न हो सका। अतः संराय का किराया अब निर्धारित करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 18.3.10 से 25.7.10 के दौरान मन्दिर संराय से किराये की प्राप्त राशियों की आगन्तुक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित प्रविष्टियां करके प्राप्त राशि मन्दिर निधि में जमा करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 30.7.12 से 25.12.12 के दौरान मन्दिर संराय से प्रापत आय की ₹13295/– को रोकड़ वही में दर्ज किए बिना सीधा ही व्यय किया गया था जोकि अनियमित है। अतः भविष्य में प्राप्त राशि को रोकड़ वही में दर्ज करने के उपरान्त ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

(घ) मन्दिर न्यास को माह 4/2005 में मन्दिर सरायं के कमरों के किराये के रूप ₹2010/–प्राप्त हुई थी जोकि रोकड़ वही के पृष्ठ–82 पर दिनांक 25.04.05 को जमा की गई थी परन्तु उक्त ₹2010/–के सत्यापन हेतु आगन्तुक रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

12 हस्तगत ₹25237/– को अध्याधिक विलम्ब से जमा करवानाः–

मन्दिर न्यास के पास माह जून 2010 से ₹25237/– हस्तगत के रूप में शेष थी। जिसे दिनांक 11.8.2011 को जमा किया गया था। इस प्रकार इस राशि को लगभग 13 माह तक बिना किसी उद्देश्य के हस्तगत रखा गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनियमित रूप से बिना किसी उद्देश्य के राशि को हस्तगत रखने हेतु चूककर्ता के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाये तथा इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास की हुई ब्याज की राशि की हानि की न्यास स्तर पर गणना करके तथा अपेक्षित राशि की उचित माध्यम से वसूली करके इसे मन्दिर निधि में जमा किया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना सामग्री का क्रय करनाः–

(क) लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा समय–समय पर मन्दिर निधि से निम्न विवरणानुसार ₹590227.75 की विभिन्न सामग्री क्रय

की गई थी परन्तु सामग्री क्रय करने से पूर्व न्यास द्वारा कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नही उठाया गया था। इसके अतिरिक्त सामग्री क्रय करने के लिए व्यय करने हेतु मन्दिर समिति से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी तथा सामग्री के क्रय व खपत के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई थी। यहॉ तक कि भुगतान वाऊचरों को सक्षम अधिकारी से पारित भी नहीं किया गया था। इस प्रकार बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये एवं सक्षम अधिकारी/मन्दिर समिति के अनुमोदन के बिना लाखों रूपये का व्यय किया जाना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपजिानक भी है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना सामग्री क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इस प्रकरण में अब नियमानुसार कार्रवाई करके तथा क्रय की गई सामग्री एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में स्टाँक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	भुगतान का विवरण	बिल संख्या/दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि
1	मै0 ज्ञान चन्द गोमल एण्ड सन्ज बद्री नगर पांवटा साहिब चैक नं0 107196 दिनांक 21.5.05	शून्य/ 21.´5.2005	एक नं0 प्लेनर एक नं0 इलैक्टिरक मोटर एवं अन्य असैसरीज	33410
2	मै0 खुराना इन्टरप्राईजिज पांवटा साहिब चैक नं0 101197 दिनांक 21.05.05	2161/ 20.5.2005	बिजली के बलब एवं अन्य सामग्री	6656
3	मै0 खुराना प्लाई एण्ड ग्लास हाऊस बद्री नगर पांवटा साहिब चैक नं0 107198 दिनांक 21.5.05	100/ 21.5.05	4 एम एम प्लैन ग्लास शीट 10 फुट	21588.75
4	मै0 अम्बूजा सीमेन्ट दाड़लाघाट द्वारा मै0 अम्बे सीमेन्ट स्टोर नेरवा चैक नं0 107192 दिनांक 19.5.05	961/ 19.5.05	200 बैग सीमेन्ट	25449
5	मै0 अम्बा हार्डवेयर स्टोर पावंटा साहिब चैक नं0 107199 दिनांक 21.5.05	282/ 20.5.05 292 से 296/21.5.2005	नलके पाईप एवं सैनीटेशन सामग्री इत्यादि	58982

6	मै0 लार्ड कृष्णा इन्टरप्राईजिज मैन बजार पांवटा साहिब चैक नं0 107200 दिनांक 21.5.05	778 से 780 / 20.5.05	सैनेटरी फिटिंग इत्यादि पाईप	61210
7	मै0 सचर सिंह ठाकुर सिलाई ड्राफ्ट सं0 585883 दिनांक 26.5.2005	0014 / 23.5.2005	सरिया 1042 कि0ग्रा0	31232
8	मै0 एमएस0 चौहान ब्रदर्स गांव बगाना तहसील शिलाई चैक नं0 101572 दिनांक 29.5.05	63 / 29.5.05	1765 नं0 ईंटें	7060
9	सादे कागज पर विवरण	शून्य / 13.4.06	मन्दिर लंगर हेतु खाद्य सामग्री	30595
10	मै0 राजेश कुमार एण्ड ब्रदर्स चौपाल	शॅन्य / 13.4.06	मन्दिर लंगर हेतु खाद्य सामग्री	2105
11	मै0 राजेश कुमार एण्ड ब्रदर्स चौपाल	शून्य / 14.6.07	मन्दिर लंगर हेतु खाद्य सामग्री	11706
12	मै0 राजा राम जय प्रकाश एण्ड क0 परवाणु	1695 / 17.7.2010	खाद्य सामग्री (कुम्भ स्नान के पश्चात शान्त यक्ष हेतु 25000 श्रद्धालुओं के लिए लंगर हेतु)	300234
			योग	**₹590227.75**

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर की रोकड़ वही के पृष्ठ–26 पर दिनांक 3.8.2010 को मै0 राजा राम जय प्रकाश एण्ड कम्पनी, सैक्टर–1 परवाणु को उनके बिल संख्या 1695 दिनांक 17.7.2010 के अन्तर्गत सामग्री का क्रय करने हेतु चैक संख्या 238455 दिनांक 3.8.2010 द्वारा **₹300234 / –** का भुगतान किया गया। यह खाद्य सामग्री कुम्भ स्नान उपरान्त शांत यज्ञ हेतु पच्चीय हजार श्रद्धालुओं के लिए मन्दिर परिसर में भण्डारे हेतु क्रय की गई थी। मन्दिर न्यास द्वारा इस खाद्य सामग्री को क्रय करने के लिए निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी तथा न ही भुगतान बिल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित / सत्यापित किया गया था अपितु इस प्रकरण में मात्र अध्यक्ष (एस0डी0एम0) मन्दिर ट्रस्ट द्वारा उक्त सामान के

क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किए खाद्य सामग्री क्रय करने बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किए जाएं। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त भुगतान से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख दिए जाने के अतिरिक्त मूल औपचारिकताओं को भी पूर्ण करके सक्षम अधिकारी से उक्त भुगतान को नियमित करवाया जाए व इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल के अन्तिम क्रम संख्या 20 पर कौन सी वस्तु का क्रय किया गया था का कोई उल्लेख नहीं था जबकि मात्रा पांच पीस लिखी गई थी। इन पांच पीस की मात्रा का ₹2290.98 प्रतिपीस की दर से ₹11454.90+वैट ₹1580.77 अर्थात कुल ₹13035.67 का भुगतान किया गया। इस प्रकार बिल में उल्लेख के अभाव में इस भुगतान की पुष्टि/जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किए खाद्य सामग्री क्रय करने तथा बिल के क्रम संख्या 20 पर वस्तु का नाम दर्ज न होने पर भी किए गए ₹13035.67 के भुगतान बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किए जाएं। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त भुगतान से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख दिए जाने के अतिरिक्त मूल औपचारिकताओं को भी पूर्ण करके सक्षम अधिकारी से उक्त भुगतान को नियमित करवाया जाए व इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

14 मन्दिर के लंगर हेतु क्रय की गई ₹157331/— की खाद्य सामग्री से सम्बन्धित अनियमितताएंः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा मै0 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला से निम्न विवरणानुसार मन्दिर में लंगर हेतु ₹157331/— की खाद्य सामग्री का क्रय किया गया।

बिल सं0	दिनांक	सामग्री	राशि
417705	14.6.07	25 कटा आटा	10982
417706	14.6.07	25 कटा चावल	15330
417707	14.6.07	2 कटा उड़द दाल	3791
417708	14.6.07	10 कटा चीनी	8300

417709	14.6.07	3 बॉक्स रिफाइंड आयल	3357
417710	14.6.07	20 बॉक्स रिफाइंड आयल	10380
417711	14.6.07	1 बॉक्स हल्दी	620
417712	14.6.07	1 बॉक्स चाय	2328
417713	14.6.07	1 बॉक्स व्हील पाऊडर	478
0533642	10.10.08	15 कटा आटा	7305
0533643	10.10.08	10 कटा चीनी	10410
0533644	10.10.08	1 बॉक्स चाय	2281
0533645	10.10.08	16 कटा परमल चावल	9994
0533646	10.10.08	1 कटा व्हील पाऊडर	547
0533647	10.10.08	13 टीन फिइन्ड आयल	14730
0548615	6.04.09	13 कटा चावल	9928
0548616	6.04.09	14 कटा आटा	6993
0548617	6.04.09	10 कटा चीनी	12350
0548618	6.04.09	200 लीटर रिफाइन्ड तेल	12570
0548619	6.04.09	2 कटा उड़द दाल	4168
0548620	6.04.09	2 कटा दाल चना	3308
0548621	6.04.09	1 कटा दाल मलका	3144
0548622	6.04.09	1 बॉक्स हल्दी पाउडर	1097
0548623	6.04.09	1 बॉक्स चाय	2950
		योग	**₹157331**

उपरोक्त क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ व आगामी खपत से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा भुगतान किये गये बिल/वाऊचरों को भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने तथा किये गये व्यय से सम्बन्धित बिल/वाऊचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित/सत्यापित न करने बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त औपचारिकताएं अब पूर्ण करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 **विज्ञापनों पर ₹115000/–का अनुचित व्यय करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मन्दिर निधि से ₹115000/– का भुगतान विभिन्न संस्थाओं/संघो को उनकी समारिकाओं में विज्ञापन के प्रकाशन हेतु किया गया था। मन्दिर निधि से इस प्रकार के भुगतानों का कोई प्रावधान नहीं है तथा न ही इसे मन्दिर कमेटी द्वारा स्वीकृत किया गया था। परिणामस्वरूप उक्त व्यय मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः किए गए अनुचित व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उपरोक्त व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार के व्ययों पर रोक लगाई जाए तथा कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ वही पृष्ठ	चैक सं0	दिनांक	व्यक्ति/संस्था का नाम	राशि
1	35	088897	4.06.2012	उपायुक्त शिमला	25000
2	5	070907	11.8.2005	अतिरिक्त उपायुक्त काजा	2500
3	7	070910	1.9.2005	सम्पादक, पाठन समाचार शिमला	2500
4	10	070913	7.10.2005	–यथोपरि–	5000
5	16	238432	4.5.2010	प्रबन्धक, मैत्री बन्दना संस्थान, न्यू शिमला	20000
6	17	238433	18.5.2010	अध्यक्ष (डी0सी0), ग्रीष्मोत्सव शिमला	50000
7	10	088795	5.2.2011	चौपाल कल्याण संगठन	10000
				कुल	**₹115000**

16 **श्री रजिन्द्र कुमार ठेकेदार को प्रतिभूति की ₹100000/– वापिस करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–**

मन्दिर न्यास की रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 64 पर दिनांक 5.6.2007 को श्री रजिन्द्र कुमार, ठेकेदार को चैक संख्या 107963 दिनांक 5.6.07 द्वारा प्रतिभूति की ₹100000/– की

वापसी (Security Released) का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर इत्यादि फाईल में संलग्न नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिभूति की राशि ठेकेदार द्वारा मन्दिर निधि में कब जमा करवाई गई थी, ठेकेदार को कौन सा कार्य आंबटित किया गया था, कार्य की प्रगति रिपोर्ट या कार्य कब पूर्ण हुआ तथा प्रतिभूति राशि को वापिस करने के सम्बन्ध में मन्दिर ट्रस्ट द्वारा पारित प्रस्ताव इत्यादि का ब्यौरा भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त राशि के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना अनियमित है जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः उक्त पाई गई अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा किए गए भुगतान की पुष्टि से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

17 कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय ₹10684/– के बारे में:–

मन्दिर न्यास की खाता बही के पृष्ठ–271 में "लंगर खाता" शीर्ष के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार ₹10684/– की आय प्राप्त हुई।

क्र0सं0	दिनांक	प्राप्त राशि
1	2.5.06	640
2	1.6.06	412
3	5.6.06	534
4	8.6.06	250
5	12.6.06	1600
6	16.6.06	1000
7	24.6.06	800
8	29.6.06	248
9	3.7.06	1000
10	7.7.06	940
11	10.7.06	1500
12	14.7.06	560
13	27.7.06	1200
	कुल	**₹10684**

18 अन्य विविध अनियमितताएंः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या शून्य, दिनांक 2.7.2007 द्वारा मै0 हिमगिरि प्रिन्टर्ज एण्ड स्टेशनरज चौपाल से उनके बिल संख्या 340 दिनांक 2.7.2007 के अन्तर्गत 20 रसीद बुकें ₹1200/— में प्रिन्ट करवाई थी परन्तु रसीद बुकों का विवरण जैसे कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक रसीद बुकें छपवाई थी, बिल में नहीं दिया गया था और न ही रसीद बुकों की प्राप्ति एवं उपभोग के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान वाऊचर को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था तथा उक्त रसीद बुकों में प्राप्त आय का भी रोकड़ वही में विवरण नहीं दिया गया था। अतः रसीद बुकों की प्राप्ति एवं उपयोग के सम्बन्ध में अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया जाए तथा भुगतान वाऊचर को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर कमेटी के सदस्यों एवं क्षेत्र के लेागों को 2 प्रतिशत मासिक ब्याज पर ऋण दिया जाता है। मन्दिर न्यास द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की राशियों में से दिनांक 31.12.2012 को निम्नविवरणानुसार ऋण की बकाया ₹20850/— विभिन्न संस्थाओं/व्यक्ति से प्राप्त की जानी शेष थी।

भुगतान करने की तिथि	जिसे भुगतान किया गया	राशि
अभिलेख में दिनांक नहीं	ब्रिजेश्वर सोसाईटी	500
अभिलेख में दिनांक नहीं	चूड़ेश्वर सोसाईटी	550
10.10.2002	चूड़ेश्वर मन्दिर	15000
17.4.1989	श्री विजिया	1300
24.12.82	श्री तुलसी राम	1500
10.7.2001	श्री मोहर सिंह	2000
	कुल	**₹20850**

अतः उपरोक्त ऋणों की वसूली हेतु शीध्र उचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा पूर्व प्रथा के अनुसार श्रद्धालुओं से वर्ष में रबी व खरीफ की फसलें आने पर दो बार अनाज लिया जाता है जिसे न्यास द्वारा कूत की उगाही कहते है। इस अनाज को श्रद्धालुओं से इकटठा करने के लिए मन्दिर न्यास द्वारा चाकर नियुक्त किए जाते है तथा परगना/इलाका अनुसार मन्दिर समिति द्वारा तीन वर्षों के लिए अनाज इकटठा करने हेतु उच्चतम बोली पर ठेका दिया जाता है। इस सन्दर्भ में वर्ष 2004 के पश्चात तीन–2 वर्षों के लिए वर्ष 2005 से 2007, 2008 से 2010 तथा 2011 से 2013 के लिए परगना/इलाका वार कूत की उगाही से सम्बन्धित दिए गए ठेकों का ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप मन्दिर न्यास द्वारा नियुक्त चाकरों से कितनी कृत उगाही की जानी थी, कितनी उगाही की गई तथा दिनांक 31.12.2012 को कितनी उगाही करनी शेष थी, की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान न हो सकी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान बीच–2 में कूत की उगाही प्राप्त हुई थी परन्तु वर्ष 2005 के पश्चात चाकरों द्वारा खाताबहियों का निर्माण न करने के कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट न हो सकी। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख का निर्माण न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा परगनावार अब कूत की उगाही के ठेकों का विवरण/खाताबही तैयार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(घ) मन्दिर न्यास के देवता की सोने/चांदी की छड़ी लेकर मन्दिर के पुजारी, श्रद्धालु द्वारा बुलाने पर इलाके में जाते है तथा श्रद्धालुओं द्वारा दी गई दक्षिणास्वरूप राशि को मन्दिर निधि में जमा करते है। इसे मन्दिर न्यास द्वारा छड़ी फेरी कहा जाता है। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर की छड़ी फेरी से प्राप्त आय को समय–2 पर रोकड़ बही में सीधे जमा किया गया था परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान वर्षवार छड़ी फेरी से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई का कोई ब्यौरा/अभिलेख में नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त छड़ी फेरी से समय–2 पर प्राप्त आय की रसीदें भी जारी नहीं की गई थी जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि वास्तव में प्राप्त कितनी आय को रोकड़ वही/मन्दिर निधि में जमा किया जाना था। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त प्रकार की आय का वर्षवार ब्यौरा/अभिलेख तैयार करके खाता बही का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) मन्दिर न्यास के श्रद्धालुओं द्वारा समय–2 पर मन्दिर में बकरें दानस्वरूप भेंट किए जाते है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर समिति को तिथिवार चढ़ावे के रूप में कितने बकरे प्राप्त हुए, कितने बकरों की बिक्री हुई तथा कितने बकरे शेष थे, का ब्यौरा/विवरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार उक्त विवरण के अभाव में बकरों की कुल प्राप्ति एवं बिक्री से सम्बन्धित आंकड़ों का सत्यापन अंकेक्षण के दौरान न हो सका। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान बीच–2 में बकरों की बिक्री से राशियां प्राप्त हुई थी परन्तु वर्षवार बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई उसका विवरण भी तैयार नहीं किया गया था। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षणाधीन अवधि से सम्बन्धित अपेक्षित विवरण अब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से लेखा–परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

(च) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर को विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त आय व व्यय का दिनांक 1.8.2006 के पश्चात मदवार खाता बहियों के अन्तर्गत निर्माण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान आय–व्यय की मदों की मदवार/वर्षवार राशियों कीपुष्टि न हो सकी। अतः आय–व्यय का मदवार/वर्षवार खाताबहियों के अन्तर्गत निर्माण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित खाताबहियों का निर्माण करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) श्री बिजट महाराज मन्दिर ट्रस्ट की समय–2 पर हुई बैठकों से सम्बन्धित कार्रवाई रजिस्टर (Proceeding Register) को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मन्दिर के विभिन्न कार्यकलापों के सम्बन्ध में बैठकों में पारित प्रस्तावों/लिये गए निर्णयों के बारे में पुष्टि न हो सकी। विशेष रूप से मन्दिर के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित पारित प्रस्तावों तथा इनका मन्दिर के आय–व्यय एवं वित्तीय स्थिति पर पड़े प्रभावों का आंकलन/निर्धारण न हो सका। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ज) मन्दिर न्यास की रोकड़ वही के पृष्ठ 81 पर दिनांक 18.4.2005 को दान पात्र के रूप में प्राप्त ₹32088/– को जमा किया गया दर्शाया गया था जिसमें ₹28588/– के नोट थे व ₹3500/– के सिक्के थे, परन्तु उक्त दिनांक को खोले गए दान पात्र रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। परणिामस्वरूप कितने–कितने मूल्य के नोट व सिक्के प्राप्त हुए तथा दान पात्र किन–किन सदस्यों/व्यक्तियों के समुख खोला गया, की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी। अतः दान पात्र रजिस्टर को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त दान पात्र रजिस्टर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर कमेटी द्वारा दिनांक 17.7.2012 को दान पात्र खोला गया जिसमें ₹180545/– के नोट तथा ₹33775/–के सिक्के प्राप्त हुये। इस राशि को रोकड़ बही के पृष्ठ 35 पर क्रमशः दिनांक 18.7.2012 तथा 30.7.2012 को जमा किया गया दर्शाया गया था परन्तु दान पात्र रजिस्टर के सिक्कों का विवरण जैसे कितने–2 मूल्य के सिक्के प्राप्त हुए, नहीं दिया गया था जिससे प्राप्त सिक्कों की ₹33775/– की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान न हो सकी। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा प्राप्त सिक्कों की राशि का विवरण आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाए।

(झ) वाऊचर संख्या 26 दिनांक 1.04.2006 द्वारा श्री खजान सिंह मिस्त्री को अन्य भुगतान के अतिरिक्त ₹27720/– का भुगतान दिहाड़ी पर लगाये गये मिस्त्रियों/मज़दूरों को किया गया दर्शाया गया है परन्तु मस्ट्रोल द्वारा किये गये उक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य की प्रगति रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। इसके अतिरिक्त भुगतान की प्राप्ति रसीदें मस्ट्रोल के साथ नही पाई गई तथा मस्ट्रोंल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित/सत्यापित भी नहीं किया गया था जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः उक्त पाई गई अनियमितताओं के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इन त्रुटियों में अब सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ञ) वाउचर संख्या 27 दिनांक 1.4.2006 द्वारा सर्व श्री भिन्द्रु राम तथा बारू राम मज़दूरों को मस्ट्रोल द्वारा माह 1/06 व 2/06 की मजदूरी का क्रमशः ₹2100/– व ₹1995/– का भुगतान किया गया परन्तु किये गये कार्य की प्रगति रिपोर्ट मस्ट्रोल के साथ संलग्न नहीं थी तथा न ही मस्ट्रोल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित/सत्यापित किया गया था,

जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त भुगतान की रसीदें इत्यादि भी मजदूरों से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त त्रुटियों में सुधार करते हुए अब औपचारिकताएं पूर्ण की जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ट) वाऊचर संख्या शून्य, दिनांक 16.12.2011 द्वारा निम्नविवरणानुसार मन्दिर के माह 11/2011 के बिजली बिलों का ₹11259/– का भुगतान किया गया था। मन्दिर न्यास बिलों का भुगतान नियत तिथि को न करने के कारण ₹215/– का अधिभार के रूप में भुगतान किया गया। अतः समय पर बिजली बिलों का भुगतान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिभार की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्र0सं0	**खाता सं0**	**बिल सं0/दिनांक**	**देय राशि**	**भुगतान राशि**	**अधिभार राशि**
1	एम0एन0डी0	00832388/24.11.11	6396	6520	124
2	एम0एन0डी0	00832389/24.11.11	4648	4739	91
				योग	**₹215**

(ठ) मन्दिर ट्रस्ट द्वारा मन्दिर के आय–व्यय का वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में मन्दिर के आय–व्यय का वार्षिक बजट तैयार करके इसे सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए एवं तदानुसार मन्दिर निधि से व्यय इत्यादि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ड) मन्दिर न्यास द्वारा दुकानों से प्राप्त किराए के रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जबकि दिनांक 31.12.2012 को बकाया राशि शून्य दर्शाई गई थी। अतः उक्त रजिस्टर का भविष्य में निर्माण किया जाए ताकि किराये की राशि की प्राप्ति की पुष्टि हो सके।

(ढ) मन्दिर न्यास द्वारा अग्रिम रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी अवगत नहीं करवाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कितनी अग्रिम की राशि दी गई थी। अतः उक्त रजिस्टर को भविष्य में तैयार किया जाए ताकि अग्रिम राशियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

(ण) मन्दिर न्यास द्वारा चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। अतः उक्त महत्वपूर्ण रजिस्टर का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना लेखा–परीक्षा को दिखाई जाए।

(त) मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मन्दिर के पास कोई अमूल्य पत्थर नहीं है तथा मन्दिर की मूर्तियों के रजिस्टर का निर्माण भविष्य में कर दिया जाएगा। अतः उक्त रजिस्टर को शीघ्र तैयार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका:–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

20 **निष्कर्ष:–** लेखों में सुधार एवं रख–रखाव की नितांत आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्या:फिन(एल0ए0)(एच) (2)सी (15)(14) 240/06–1608–12 दिनांक,14.03.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री बिजट महाराज सराहन चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 उप मण्डलाधिकारी (उएस0डी0एम0) चौपाल एवं आयुक्त मन्दिर तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला–9

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2

5 श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" पैरा 1 (iv) मे ंवर्णित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2004

1	पैरा–2	समाप्त	(अंकेक्षण शुल्क की ₹7800/– जमा की गई)
2	पैरा–3	समाप्त	
3	पैरा–4	समाप्त	
4	पैरा–5	समाप्त	(कृत की उगाही की खातावही पृष्ठ संख्या 154 से 162 पर वसूली कर दी गई थी)
5	पैरा–6	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (क)	समाप्त	(₹280/– दिनांक 17.10.2013 को जमा की गई)
7	पैरा–7 (ख)	समाप्त	
8	पैरा–8	अनिर्णीत	
9	पैरा–9	समाप्त	(₹278/– दिनांक 17.10.2013 को जमा की गई)
10	पैरा–10	अनिर्णीत	
11	पैरा–11	समाप्त	(₹80/– दिनांक 17.10.2013 को जमा की गई)
12	पैरा–12	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मे ंदी गई है)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	9
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2004 तक अनिर्णीत पैरे	3